न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 83 / 2019 (अपील)

GCMS No. 2019/00333

1. रणजीत सिंह आत्मज श्री लालचन्द जाति बैरवा
2. श्रीमति सुनीता पत्नि रणजीत सिंह जाति बैरवा निवासीगण इन्द्रा गांधी नगर, कोटा राजस्थान

––अपीलाण्ट

बनाम

श्री लालचन्द आयु 86 वर्ष आत्मज स्व. श्री शंकरलाल जाति बैरवा निवासी इन्द्रा गांधी नगर, कोटा राजस्थान

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 दी मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्टस एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 विरूद्व निर्णय दिनांक 06.08.2019 प्रकरण सं0 25/2018 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा,

निर्णय

दिनांकः– 10 /11/2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 दी मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत सुनवाई कर दिनांक 06.08.2019 को आदेश पारित किया कि–" अप्रार्थीगण, प्रार्थी की सम्पत्ति/ मकान में निवास नहीं करें तथा मकान में से अपना सामान निकालकर खाली करें । प्रकरण में थानाधिकारी उद्योगनगर को अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने हेतु लिखा जावें ।"

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 18.09.2019 को पेश कर कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा भी कोई साक्ष्य न्यायालय में आकर प्रस्तुत नहीं की गई है । मात्र प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थी /रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 5 दी मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्टस एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें योग्य अधीनस्थ न्यायालय को मात्र भरण पोषण की राशि निर्धारण करने का अधिकार था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से निर्णय पारित करने में भारी भूल की है । प्रार्थी /रेस्पोडेन्ट द्वारा अध्याय 5 की धारा 23 के तहत सम्पत्ति के संरक्षण के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 23 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर अपीलान्ट को सम्पत्ति से बेदखल करने के आदेश पारित करने में भारी भूल की है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि यहां न तो प्रार्थी /रेस्पोडेन्ट को और ना अपीलान्ट / अप्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है । इसलिये साक्ष्यों का विवेचन भी नहीं हुआ है । इस प्रकार भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की

जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.8.2019 खारिज फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री प्रवीण कुमार पनवाड का वकालतनामा पेश हुआ किन्तु दौराने बहस वकील अपीलान्ट अनुपस्थित, किन्तु अपीलान्ट स्वयं उपस्थित । रेस्पोडेन्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित । उभयपक्ष को सुना गया ।

4. अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष में दौराने बहस कोई तथ्य प्रकट नहीं किया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार मेरे द्वारा मकान खाली कर दिया गया है ।

5. रेस्पोडेन्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि प्रस्तुत अपील का कोई औचित्य नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार अपीलान्ट ने मकान खाली कर दिया है, ऐसी स्थिति में अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 06.08.2020 के विरूद्व दिनांक 18.09.2019 को पेश की गई है । अपीलान्ट द्वारा स्वयं यह स्वीकारा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.8.2020 की पालना में उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट का मकान खाली कर दिया है, तथा अपीलान्ट के कथन की पुष्टि रेस्पोडेन्ट द्वारा भी दौराने बहस यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थी /अपीलान्ट द्वारा आदेशानुसार मकान खाली कर दिया है, ऐसी स्थिति में अपील का कोई औचित्य नहीं है ।

7. परिणामतः प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार पालना में मकान खाली कर दिये जाने से अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है ।

8. निर्णय आज दिनांक **10.11.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा